



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

पत्र संख्या: भाविप्रा/इन्दौर/वाणिज्य/प्री-पे.टै./एन.आई.टी./ 3580-85 (ओ)

दिनांक : 12/06/2023

प्रति,

मेसर्स सारथी टुर्स एण्ड टैक्सी
ड्राइवर्स वेलफेयर एशोसिएशन,
एफ-41, द्वारकाधाम करोन्द बायपास,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल
भोपाल

विषय :- प्री-पेड कार/टेक्सी ठेका - इन्दौर विमानतल ।

संदर्भ :- निविदा आई डी क्र. 2023_AAI_148415_1 की टेक्नीकल बिड ओपनिंग दिनांक 05/04/2023 एवं फायनेंशियल बिड ओपनिंग दिनांक 02/06/2023.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में सूचित किया जाता है कि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेसर्स सारथी टुर्स एण्ड टैक्सी ड्राइवर्स वेलफेयर एशोसिएशन, भोपाल के पक्ष में इन्दौर विमानतल पर आगमन कक्ष एवं सिटी साईड में प्री-पेड टैक्सी काउन्टर के ठेके को संचालित करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. प्री-पेड काउन्टर हेतु 04 वर्गमीटर स्पेस आगमन कक्ष में एक्जिट गेट के पास 03 नं. काउन्टर तथा 04 वर्गमीटर स्पेस आगमन कक्ष के बाहर सिटी साईट पोर्च में आवंटित किया जाता है। ठेके की अवधि ठेका प्रारंभ करने की दिनांक से 03 वर्षों के लिए होगी।
2. लायसेन्स फीस राशि रु. 2,21,306/- + 18 प्रतिशत (जीएसटी) रु. 39,835/- = कुल राशि रु. 2,61,141/- प्रतिमाह अथवा एनआईटी में प्रावधान अनुसार ठेके हेतु प्रति ट्रिप/प्रति बुकिंग प्रतिमाह रायल्टी रु. 40/- + लागू टैक्स, जो भी अधिक होगी, का भुगतान करना होगा। Monthly license fee shall be the quoted fixed License fee or Revenue share of Rs 40/- per trip/per booking multiplied by total nos of trips in the particular month, whichever is higher.
3. लाईसेन्स फीस के अतिरिक्त आपको अराईवल हॉल के अन्दर आवंटित 04 वर्गमीटर ए.सी. स्पेस हेतु राशि रु. 10,200/- + रु. 1,020/- (10 प्रतिशत युटिलिटी चार्जेंस ऑन स्पेस रेंट) = रु. 11,220/- + 18 प्रतिशत (जीएसटी) रु. 2,020/- = कुल राशि रु. 13,240/- तथा अराईवल हॉल के बाहर सिटी साईट पोर्च में आवंटित 04 वर्गमीटर नॉन ए.सी. स्पेस हेतु राशि रु. 6,800/- + रु. 680/- (10 प्रतिशत युटिलिटी चार्जेंस ऑन स्पेस रेंट) = रु. 7,480/- + 18 प्रतिशत (जीएसटी) रु. 1,346/- = कुल राशि रु. 8,826/- प्रतिमाह देय होगा।
4. भाविप्रा की पॉलिसी अनुसार लाईसेन्स फीस पर प्रथम एस्केलेशन (10 प्रतिशत) 1 वर्ष 06 माह पूर्ण होने पर तथा आगे के सभी एस्केलेशन प्रतिवर्ष लगाये जाएंगे। तथा स्पेस रेंट पर प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 7.5 प्रतिशत एस्केलेशन लगाया जाएगा।
5. In addition to the Taxi-fare approved by respective State Govt. / Regional Transport Office, Licensee may charge from the passengers:-
(i) AAI rate of Rs.40/- per Trip/Booking. The rate is exclusive of GST / Tax, fixed for three years and thereafter shall be reviewed by AAI.
(ii) Rs.10/- per booking towards expenses of printing coupons, staff salary etc.
6. Licensee shall not charge any additional amount from the passenger, other than mentioned in above (3) in the name of airport.
7. In order to prevent revenue leakage, machines may be installed for computerized billing at prepaid counters.
8. एक माह की अग्रिम कुल लायसेन्स फीस रु. 2,83,207/- (युटिलिटी चार्जेंस एवं जीएसटी सहित) इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर जमा करनी होगी।
9. लायसेंस फीस हेतु सुरक्षित जमा राशि रु. 9,60,100/- (Rupees Eight Lacs Ninty Four Thousand only) बैंक गारंटी/ डी.डी. (नेशनलाईज / शेड्यूल बैंक) के रूप में भा.वि.प्रा., इन्दौर के पक्ष में इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर जमा करना होगा। बैंक गारंटी की वैधता ठेका समाप्ति के तिथि से छः माह अधिक होना चाहिए
10. विद्युत हेतु सुरक्षा जमा राशि रु. 1,44,100/- (Rupees One Lac Thirty Five Thousand only) बैंक गारंटी/ डी.डी. (नेशनलाईज / शेड्यूल बैंक) के रूप में भा.वि.प्रा., इन्दौर के पक्ष में इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर जमा करना होगा। बैंक गारंटी की वैधता ठेका समाप्ति के तिथि से छः माह अधिक होना चाहिए।

अन्तर्लिखित
12/6/23

क्रमशः-----//2//

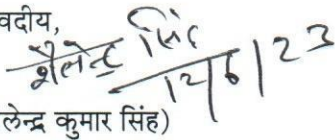


भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

//2//

11. उक्त कांटेक्ट को चलाने के लिये सिक्युरिटी क्लियरेंस लेने की जिम्मेदारी आपकी होगी। अतः इस अवार्ड पत्र के जारी होने की दिनांक से 15 दिन के अंदर सिक्युरिटी क्लियरेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन बी.सी.ए.एस. कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
12. The Counter inside terminal building will be allotted on provisional basis and agency will be asked to get BCAS clearance then only operation will be allowed from the contract inside the terminal building, in case agency failed to get BCAS clearance, then contract will be managed from outside counter only.
13. Obligations relating to Transfer The Authority agrees that during the Contract Period, in the event the Authority transfers the rights to operate and maintain the Airport to a third party(s), the Authority shall ensure that; The Authority shall cause to transfer/novate this Agreement, in favour of such third party, on the principle that such transfer/novation would release Authority of all liabilities and obligations arising from and after the date of transfer/novation of such rights. The Parties, along with relevant third party(s) shall execute necessary documentation or put in place necessary agreements for the aforesaid transfer/novation; and The rights and obligations under or pursuant to all contracts and other arrangements entered into in accordance with the provisions of this Agreement between Authority and Contractor shall be vested in such third party.
14. उक्त सुविधा हेतु आपके द्वारा बनाये जाने वाले काउंटर के Design/façade specification (Measurement/ Dimension) का पूर्व अनुमोदन इस कार्यालय से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
15. इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उक्त ठेका चलाने संबंधी सहमति पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
16. अनुबंध /करार रू. 500/- मूल्य के नॉन-ज्युडिशियल स्टेम्प पेपर पर मय फोटो के उक्त ठेका प्रारंभ करने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
17. इस आवंटन आदेश के जारी होने की दिनांक से निविदा में निहित प्रावधान अनुसार जेस्टेशन पिरीएड 30 दिनों के भीतर उपरोक्त सभी औपचारिकताएं पूर्ण करके ठेका प्रारंभ करना अनिवार्य होगा।
18. ठेके के संचालन हेतु तैनात कर्मियों की सूची (नाम, पिता का नाम, आयु, रहवासी पता), किराया सूची एवं तैनात वाहन चालकों के लायसेन्स की फोटो कॉपी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाणपत्र इस कार्यालय को 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।
19. काउन्टर से संचालित होने वाली गाड़ियों का इन्श्योरेंस, आ.टी.ओ. रजिस्ट्रेशन, फिटनेस प्रमाण पत्र आदि नियमानुसार रखने की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
20. भविष्य में यदि उक्त ठेके बाबत भाविप्रा मुख्यालय/क्षेत्रीय मुख्यालय से नीति/रेट में संशोधन होता है तो वह पार्टी को मान्य होगा।
21. वाहन ठहराव के लिए पार्किंग स्पेस आवंटन नहीं किया जाएगा। इसके लिए वर्तमान पार्किंग ठेकेदार से सम्पर्क कर पार्किंग एरिया में वाहन पार्क करना होगा।

भवदीय,


(शैलेन्द्र कुमार सिंह)

प्रभारी/उप महाप्रबंधक (वाणिज्य)

कृते विमानपत्तन निदेशक

दे.अ.बा.होल्कर विमानतल

भाविप्रा, इन्दौर

प्रतिलिपि :-

1. कार्यपालक निदेशक (कमर्शियल), राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई-99 क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई-99 को सूचनार्थ प्रेषित।

आंतरिक वितरण - प्रभारी - वित्त/टर्मिनल/सुरक्षा।